फा.सं.3/24/2015-प्रशासन

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,

नई दिल्ली।

तारीख: 20.11.2020

आदेश

'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में और दिनांक 23.01.2019 के समसंख्यक आदेश का अधिक्रमण करते हुए, लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए 'आंतरिक शिकायत समिति' का निम्न प्रकार पुनर्गठन किया जाता है:-

1.	श्रीमती सुमन बारा, निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री ए.बी. आचार्या, उप सचिव	सदस्य
3.	श्रीमती रेखा भारती, वैयक्तिक सहायक	सदस्य
4.	श्रीमती वंदना ढिंगड़ा, सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य
5.	सेंटर फॉर सोशल रिसर्च (एक गैर सरकारी संस्था), नई दिल्ली से एक महिला प्रतिनिधि	सदस्य

समिति 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के उपबंधों के अनुसार बैठक और कार्य करेगी। समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा।

यह सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(शरद द्विवेदी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं.011-23034763

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य।
2. डॉ. रंजना कुमार, निदेशक, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, 2, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त समिति में अपनी संस्था से एक प्रतिनिधि नामित करने और उसका पूरा पता इत्यादि भेजने की कृपा करें।
3. ई-मेल: info1@csrindia.org
4. महिला और बाल विकास मंत्रालय (श्री वी.एस. यादव, उप सचिव), शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. श्री एस.के. सिन्हा, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
6. के.एम.एस. - मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ।